IndiaShelter Home Loans

## इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

**अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना**

**पंजी. कार्यालय :-** प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002,
**शाखा कार्यालय :** 568/552, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, कैलाशपुरी, अहमदपुर, बेनासी, आलमबाग, लखनऊ, निकट ईको गार्डन, उत्तर प्रदेश, पिन–226005

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **इंडिया शेल्टर फाइनैंस रेंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार **इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड** की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

| कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर | प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन | मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|
| श्री/श्रीमती मीना देवी एवं श्री/श्रीमती राम कुमार **पता :** ग्राम जलौदी नगर, पोस्ट अमेठी सलेमपुर गुराईगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–227125, ग्राम सलेमपुर, परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–227125, **ऋण खाता सं. LA11CLLONS000005039905/AP-10086254** | **सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** प्लॉट, क्षेत्रफल परिमाप 2075 वर्ग फीट, ग्राम सलेमपुर परगना तहसील मोहनलालगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश–227125, **चौहद्दी – पूरब :** दुकान और मकान खंडहर रामचंदर, **पश्चिम :** लवकुश का प्लॉट, **उत्तर :** पंकज की कृषि भूमि, **दक्षिण :** लखनऊ–सुल्तानपुर रोड | मांग सूचना दिनांकित 14–01–2025 **रू. 14,62,274/–** (रूपए चौदह लाख बासठ हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) 10–01–2025 तक बकाया + 11–01–2025 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत | 14–04–2025 सांकेतिक |

**स्थान : लखनऊ, तिथि : 18-04-2025** (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

**किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+ 91 98184 60101)**

---

## सिडबी
## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
## SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

**प्रधान कार्यालय :** सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
**मुंबई कार्यालय :** जी ब्लॉक, प्लाट नं. सी–11, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू), मुंबई – 400 051.

**सिडबी बांडस सीरीज । (1992)**

### सूचना

**''सिडबी डीप डिस्काउंट बांड'' (डीडीबी) – श्रृंखला। पर सिडबी को उपलब्ध कॉल विकल्प का प्रयोग सिडबी ने 01 फरवरी 2002 को किया था।**

**बांड प्रमाणपत्रों के खो जाने के संदर्भ में सूचना –**

**सिडबी बांडस सीरीज। (1992)**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के निम्नलिखित बांडो के प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्रों के संदर्भ में यह सूचना जारी कर रहा है कि ये प्रमाणपत्र खो गए हैं/उन्हें कहीं रखकर भूल गए हैं और इन कथित सिडबी बांड सीरीज। (1992) का / के धारक / धारकों ने डुप्लिकेट प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए आवेदन किया है।

| क्र. सं. | आवेदक का नाम | फोलियो सं. | प्रमाणपत्र सं. से | प्रमाणपत्र सं. तक | बांड |
|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | सौमिल अशोक शाह | SI02202429 | 142607 | 142607 | 1 |
| 5588 | आतिश अशोक शाह | SI02202425 | 142602 | 142602 | 1 |
| 5589 | दामोदर सत्यमूर्ति | SI02990065 | 207453 | 207453 | 1 |
| 5590 | अक्षता सुधाकर जाधव | SI01807749 | 104549 | 104549 | 1 |
| 5591 | छवि गुप्ता | SI01412060 | 73734 | 73734 | 1 |

इन कथित बांडो के संदर्भ में अगर किसी / किन्हीं व्यक्ति / व्यक्तियों का दावा है / आपत्ति है /हो, तो वह / वे उपर्युक्त पते पर स्थित बैंक के मुंबई कार्यालय को या **लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिडबी, सी – 101, 247 पार्क, एल. बी. एस. मार्ग, विक्रोली (प), मुंबई – 400 083 के पते पर स्थित पंजीयक के कार्यालय को** इस विज्ञापन के प्रकाशन के **पंद्रह दिनों के अंदर** सूचित करें। **पंद्रह दिन** समाप्त होते ही बैंक इन कथित बांड/बांडो के प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने की कार्रवाई करेगा।

कृते भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
स्थान : मुंबई — हस्ताक्षर /–
दिनांक : 17 अप्रैल, 2025 — महाप्रबंधक

**www.sidbi.in**

---

## पूर्वोत्तर रेलवे

### ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य परियोजना प्रबन्धक, गति शक्ति, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमन्त्रित करते हैं: **ई-निविदा संख्या.:** CPM-GS-IZN-2025-04, **कार्य का नाम:** उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जी.एस./आई.जेड.एन. के अधिकार क्षेत्र में एल.सी. को समाप्त करने के लिए सी.पी.ए.-एम.आर.टी. सेक्शन में 160 लेवल क्रॉसिंग और बी.सी.-के.एस.जे. सेक्शन में 12 लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण और डी.पी.आर. की तैयारी। **अनुमानित निविदा मूल्य (₹):** ₹ 9,99,88,565.20, **बयाना राशि (₹):** ₹ 6,50,000.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹):** निल, **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 12 (बारह) माह। **नोट:** • बिडिंग प्रारम्भ करने की तिथि- **24.04.2025.** • उपरोक्त ई-निविदा सबमिसन की अंतिम तिथि -दिनांक **08.05.2025, 15.00 बजे** तक • उपरोक्त ई-निविदा खुलने की तिथि- दिनांक **08.05.2025, 15.30 बजे।** • निविदा सूचना, योग्यता मापदण्ड, नियम एवं शर्तें वेबसाइट **https:/ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है। • निविदा सूचना में यदि हिन्दी या अंग्रेजी के आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होंगे।

उप मुख्य इंजीनियर/गतिशक्ति
मुजाधि/डब्ल्यू-17 — इज्जतनगर

"ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें"

---

## कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

**अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**

**पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र–400051**
**शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड– एससीओ 153,154,155, दूसरी मंजिल, सेक्टर 9सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160009**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(5)एव 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (जिसे आगे चलकर ''बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता'' कहा जाएगा) के अधिकृत अधिकारी ''मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे चलकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे चलकर **''पीएचएफएल''** कहा जाएगा) द्वारा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे ''बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 06.12.2024 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्जा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने ऋण खाता संख्या **HM/0139/H/18/100037** के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री गुरमीत सिंह और श्रीमती तरनजीत कौर द्वारा लिया गया ऋण 17–04–2025 तक बकाया **रु.19,63,330/–(रुपये उन्नीस लाख तिरसठ हजार तीन सौ तीस मात्र)**की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, **2002** के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को **"जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है"** के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

| विशेष | विवरण |
|---|---|
| नीलामी की तिथि | 09.05.2025 |
| नीलामी का समय | 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच |
| आरक्षित मूल्य | रु.7,00,000/– (केवल सात लाख रुपये) |
| बयाना राशि जमा (ईएमडी) | रु.70,000/– ( सत्तर हजार रुपये मात्र) |
| केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि | 08.05.2025 सायं 6:00 बजे तक (आईएसटी) |
| सुरक्षित संपत्ति का विवरण | मौजा जगाधरी, नाम उधमगढ़ की टपरियां, केसर नगर, जगाधरी तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर– 135001 में स्थित खसरा संख्या 6//18 में शामिल प्लॉट संख्या 31–ए के पश्चिमी भाग का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: गली, दक्षिण: अन्य का प्लॉट, पूर्व: प्लॉट संख्या 31–ए का शेष भाग, पश्चिम: प्लॉट संख्या 31–बी। |
| ज्ञात भार | शून्य |

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता तथा सामान्य रूप से जनता कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता बैंक के **आईवीआर नंबर (+91–9152219751) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए श्री नीरज जे.के. (मोबाइल नं.+919716686150), श्रीमती कंचन नारा (मोबाइल नं.+919463227690) और श्री अक्षित सोलंकी (मोबाइल नं.+917302111608) से भी संपर्क कर सकते हैं।**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.kotak.com** तथा/अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** देखें।

**स्थान:** यमुना नगर, हरियाणा — कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,
**दिनांक:** 18.04.2025 — प्राधिकृत अधिकारी

---

## HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

**कॉर्पोरेट कार्यालय: 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई–600 015.**

**संपर्क नं. श्री राहुल सिंह 9997535262, श्री ब्रजेश कुमार अवस्थी 9918300185**

**परिशिष्ट –IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)**

जबकि निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/ओं/गारंटर/ओं को मांग नोटिस जारी किया है। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि पूरी होने के पश्चात, ऋणी/ओं/गारंटर/ओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने पर, ऋणी/ओं/गारंटर/ओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

**खाता संख्या एवं ऋणी का नाम/पता**

**UP/LKN/LUKN/A000001795 और CO/CPC/CPOF/A000004044**
1.जितेन्द्र कुमार यादव 2. श्रीमती बबीता यादव, पुत्री हरी शंकर यादव, निवासी 179 का मिश्रा नेवरी बलिया सिटी बलिया यूपी 277001 **एनपीए तिथि: 05–दिसम्बर–24 प्रतीकात्मक कब्जा: 16 अप्रैल 25**

**डिमांड नोटिस दिनांक एवं राशि : 26 दिसंबर 24 और 24 दिसंबर 24 तक रु. 45,98,945/–**

**संपत्ति का विवरण : प्लॉट नंबर 2 जो खसरा नंबर 28 का हिस्सा है का मिंजुमला गांव मल्हौरी चिनहट लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत–226016, सब रजिस्ट्रार 2 लखनऊ, संपत्ति क्षेत्र: माप क्षेत्र 1200 वर्ग फीट, दिशा/सीमाएं: उत्तर– प्लॉट सुंदर लाल, दक्षिण–20 फीट रोड, पूर्व– प्लॉट दिवाकर सिंह, पश्चिम– 20 फीट रोड**

**UP/LKN/LUKN/A000001460 और UP/LKN/LUKN/A000001804.** 1. कृष खरे 2. दामिनी खरे पुत्र विजय कुमार खरे , निवासी मकान नंबर 832 किरन एन्क्लेव कुर्सी रोड पलकरामऊ, गुडम्बा लखनऊ यूपी–226026 , **एनपीए तिथि: 05 दिसंबर 24 ,प्रतीकात्मक कब्जा: 16 अप्रैल 25**

**डिमांड नोटिस तिथि और राशि: 26 दिसंबर 24 और 24 दिसंबर 24 तक रु.11,76,069/–**

**संपत्ति का विवरण: ग्राम पैकरामऊ परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब थाना गुडम्बा जिला लखनऊ शहरी लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत–226026 में स्थित प्लॉट नंबर 832 पर मकान, जो गाटा संख्या 579 का मिनजुमला का हिस्सा है। सब रजिस्ट्रार बख्शी का तालाब लखनऊ। संपत्ति क्षेत्र: माप क्षेत्र 1260 वर्ग फीट, दिशा/सीमाएं: उत्तर–25 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण–आराजी डीगर, पूर्व–प्लॉट नंबर 831, पश्चिम–प्लॉट नंबर 833**

**UP/LKN/LUKN/A000000937 और UP/LKN/LUKN/A000001443** 1. सुहैल अहमद 2. शफीक अहमद 3. नूर फातिमा पुत्र शफीक अहमद ,निवासी दिव्यांता पैलेस सेक्टर | जानकीपुरम लखनऊ मेट्रो लखनऊ उत्तर प्रदेश –226021। इसके अलावा– प्लॉट नंबर 21 सेक्टर 1 मड़ियांव गांव रोड जानकीपुरम लखनऊ 226021 , **एनपीए तिथि: 05–दिसंबर–24 , प्रतीकात्मक कब्जा: 16–अप्रैल–25**

**डिमांड नोटिस तिथि और राशि: 26–दिसंबर–24 24–दिसंबर–24 तक रु.54,85,283/–**

**संपत्ति का विवरण: प्लॉट संख्या 21 और 22 ए पर निर्मित मकान रामपुर निसफ खसरा संख्या 80 का भाग,जानकीपुरम लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत–226021,उप पंजीयक चतुर्थ जिला लखनऊ। संपत्ति क्षेत्र: माप क्षेत्र 278.810 वर्ग मीटर। दिशा/सीमा: दिनांक 21–11–1999 के विलेख के अनुसार: उत्तर–प्लॉट संख्या 22, दक्षिण–आराजी डीगर, पूर्व–रोड 25 फीट, पश्चिम–आराजी डीगर। दिनांक 20–06–2022 के विलेख के अनुसार: उत्तर–प्लॉट संख्या 22ए, दक्षिण–प्लॉट संख्या 20, पूरब–रोड 30 फीट, पश्चिम–आराजी डीगर**

**UP/LKW/LKNW/A000000484 – UP/LKW/LKNW/A000000847**
1. नीरज कुमार 2. रेनू यादव पुत्र राजेश कुमार यादव निवासी चंदेवरा आजमगढ़ यूपी–276202, **एनपीए तिथि: 05–दिसंबर–24 , प्रतीकात्मक कब्जा: 16–अप्रैल–25**

**डिमांड नोटिस तिथि और राशि: 16–जनवरी–25 और 09 जनवरी 25 तक रु. 34,15,518/–**

**संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 216 एसए का हिस्सा वाले प्लॉट नंबर 10 पर निर्मित मकान, ग्राम मैसोरा परगना और तहसील लखनऊ सब रजिस्ट्रार लखनऊ में स्थित है। संपत्ति क्षेत्र: 1035 वर्ग फीट मापने वाला क्षेत्र। दिशा/सीमाएं: उत्तर–मकान नंबर 9, दक्षिण–मकान नंबर 11, पूर्व–सड़क 25 फीट, पश्चिम–खसरा नंबर 216एसए का हिस्सा,**

**UP/LKN/LUKN/A000001755 और UP/LKN/LUKN/A000002539** 1. सुशील कुमार पांडे 2. रीना पांडे पुत्र राम किशोर पांडे निवासी प्लॉट नंबर 3 खसरा नंबर 385 आयुष विहार फेज II जानकीपुरम एक्सटेंशन लखनऊ यूपी–226021, **एनपीए तिथि: 05 दिसंबर 24 , प्रतीकात्मक कब्जा: 16 अप्रैल 25**

**डिमांड नोटिस तिथि और राशि: 26 दिसंबर 24 और 24 दिसंबर 24 तक रु.40,58,141/–**

**संपत्ति का विवरण: मकान/प्लॉट नंबर 3, खसरा 385 का हिस्सा, ग्राम निर्जापुर, तहसील बीकेटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत–226021, सब रजिस्ट्रार बीकेटी लखनऊ। संपत्ति क्षेत्र: माप क्षेत्र 107.342 वर्ग मीटर। दिशा/सीमाएं: उत्तर–प्लॉट विक्रेता (मकान), दक्षिण–आराजी डीगर, पूर्व–20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–प्लॉट विक्रेता (मकान),**

**UP/LKN/LUKN/A000001624** 1.शशि भूषण नाथ मिश्रा 2. श्रीमती कंचन लता मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार मिश्रा निवासी 1 प्रेम नगर अतरौली कुर्सी रोड गुडम्बा लखनऊ यूपी 226026 , **एनपीए तिथि: 05 दिसंबर 24 ,प्रतीकात्मक कब्जा: 16 अप्रैल 25 ,**

**डिमांड नोटिस तिथि व राशि: 26 दिसंबर 24 और 24 दिसंबर 24 तक रु.24,14,478**

**संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 79 के भाग प्लॉट संख्या 1 पर निर्मित मकान,का मिनजुमला मोहल्ला अतरौली वार्ड शंकरपुरवा प्रथम लखनऊ–226022। संपत्ति क्षेत्र: माप क्षेत्र 1500 वर्ग फीट। दिशा/सीमा: उत्तर–आराजी समिति, दक्षिण– 20 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व–20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–प्लॉट संख्या 2,**

**UP/LKN/LUKN/A000001126** 1.मोहम्मद जैद 2. अफसर पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी सतरिख रोड बड़ी मस्जिद के पीछे चिनहट बाजार लखनऊ उत्तर प्रदेश –227105 , **एनपीए तिथि: 05–दिसंबर–24 , प्रतीकात्मक कब्जा: 16–अप्रैल–25**

**डिमांड नोटिस तिथि एवं राशि: 26–दिसंबर–24 एवं 24 दिसंबर 2024 तक रु. 6,16,296/–**

**संपत्ति का विवरण: खसरा संख्या 443 का भाग वाले प्लॉट संख्या 26 का मिंजुमला वार्ड चिनहट लखनऊ शहरी लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत–226010 उप पंजीयक–द्वितीय लखनऊ। संपत्ति का क्षेत्रफल: 53.903 वर्ग मीटर क्षेत्रफल। दिशा/सीमा: उत्तर– प्लॉट सीराज, दक्षिण– स्वर्गीय संतोष का मकान, पूर्व– रोड 20 फीट, पश्चिम– राजकुमार का मकान,**

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन–देन करने पर ऊपर उल्लिखित मांगी गई राशि और उस पर अतिरिक्त ब्याज, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

**दिनांक: 18.04.2025, स्थान: लखनऊ** — हस्ता /–, प्राधिकृत अधिकारी– हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

**शाखा: कटरा, गांव व पोस्ट कटरा, तहसील तिलहर, उ.प्र., जिला शाहजहांपुर, मोबाईल: 8477009692**
ईमेल: katra@bankofbaroda.com

### (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 उप धारा (2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत मांग नोटिस)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने 60 दिन का एक मांग नोटिस दिनांक 04.04.2025 निम्नलिखित ऋणी/ गारंटर को जारी किया, जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया, लेकिन डाक अधिकारियों द्वारा उक्त नोटिस लेने से इन्कार/ गलत पता/ शहर छोड़ दिया या मृत घोषित किया गया आदि, की टिप्पणी के साथ वापस लौटा दिया गया। बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने हेतु ऋणी/ गारंटर द्वारा अपनी निम्नलिखित चल/ अचल सम्पत्ति को दृष्टि बन्धक/ बन्धक किया गया था।

यह कि ऋणी/ गारंटर द्वारा बैंक की देय रकम के भुगतान में चूक करने,और ऋण की शर्तो एवं नियमों की पूर्ति न करने, और शेष ब्याज जमा न करने के परिणाम स्वरूप, उक्त ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 04.04.2025 को गैर निष्पादित अस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, हमारे बार – बार अनुरोधों और मांगों के बावजूद आपने ब्याज सहित अतिदेय रकम नही चुकाई है।

यह कि उपरोकतानुसार निम्नलिखित ऋणी/ गारंटर को 60 दिन का सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है, कि आप निम्नलिखित देय धनराशि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर भुगतान कर अपनी देनदारियों का निर्वहन करे। आपको यह भी सूचित किया जाता है, कि यदि आप उक्त शेष धनराशि व जमा करने की दिनांक तक का शेष ब्याज जमा करने में असफल रहते है, तो हम उक्त अधिनियम की धारा 13 उप धारा (4) के अन्तर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का नाम,पता, ऋण सुविधा, ऋण राशि, ब्याज दर, देय राशि, प्रतिभूतियों का विवरण आदि निम्नलिखित है :–

| नाम और पता उधारकर्ता/जमानतकर्ता | प्रकृति और सुविधा का प्रकार/ स्वीकृत धनराशि | ब्याज की दर | कुल बकाया राशि | प्रतिभूतियों का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| उधारकर्ताः मेसर्स प्रियांक राइस मिल, हरहापुर, कटरा, तहसील तिलहर, शाहजहाँपुर, यूपी 242301. श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी मनोज कुमार गुप्ता, पार्टनर मेसर्स प्रियांक राइस मिल, पताः मो. अफरीदी, मीरानपुर कटरा, शाहजहाँपुर उ.प्र. 242301. श्री रवि कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल, पार्टनर मैसर्स प्रियांक राइस मिल, पताः रामनगर टी आंवला बरेली उ.प्र. 243303. जमानतकर्ताः श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम मूर्ति गुप्ता, मो. अफरीदी करतार, तहसील तिलहर, शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242301. श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण गुप्ता, मो. नयागंज कुडगंज, शाहजहाँपुर, उ.प्र. 242301. श्री रवि कुमार पुत्र स्व. इन्द्रपाल, पताः रामनगर टी आँवला बरेली उ.प्र. 243303. श्री शिव ओम गुप्ता पुत्र मुरारी लाल गुप्ता, 72, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइंस बरेली, उत्तर प्रदेश 242301. श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी मनोज कुमार गुप्ता, पताः मो. अफरीदी, मीरानपुर कटरा, शाहजहाँपुर उ.प्र. 242301. | नकद क्रेडिट खाता (09300500001055) स्वीकृत धनराशि रू. 100.00 लाख | 9.25 प्रतिशत | रू. 92,47,543.46/– (रू. बानवे लाख सैंतालिस हजार पांच सौ तेतालिस और छियालिस पैसा मात्र) + 01.04.2025 से अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य शुल्क/ व्यय प्रभावी। | इण्डस्ट्रियल संपत्ति का साम्यिक बंधक जिसका क्षेत्रफल 7460 वर्ग मीटर, मालिक श्री रवि कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल और श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी मनोज कुमार गुप्ता, विक्रय विलेख दिनांक 28.01.2011, बुक 1, क्रमांक नं. 907, वॉल्यूम 4268 पेज नं. 361 – 398 के अनुसार गाटा संख्या 51, 53, 54, 55, 54 मिनट का 1/4 हिस्सा और 56, 57, 72 का 1/2 हिस्सा पर स्थित है, ग्राम हरहरपुर तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर, विक्रय विलेख के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः हरहरपुर के लिए लिंक रोड, पश्चिमः खेत राम स्वरूप और अन्य का, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः खेत राम स्वरूप और खेरपुर जैतीपुर रोड। |

यह कि कृपया ध्यान दें, कि ऊपर पैरा न. 1 में निर्दिष्ट उपाजित ब्याज सभी ऋण सुविधाओं में भुगतान होने तक जारी रहेगा।

यह कि हम आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 उप धारा (13) की ओर आकर्षित करते है, कि आप पैरा न. 1 में निर्दिष्ट किसी भी सुरक्षित आस्ति को विक्रय करने, पट्टा करने या अन्यथा के द्वारा (व्यापार के सामान्य व्यवहार को छोड़ कर) बिना बैंक की पूर्व सहमति के हस्तांतरित नही करेंगे, हम यह भी सूचित करते है, कि यदि अधिनियम की उक्त धारा 13 उप धारा (13) में निहीत उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नही किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।

यह कि हम आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 उप धारा (8) की ओर आकर्षित करते है, कि यदि आप बैंक को शोध्य रकम, उसके द्वारा उपगत सभी लागत, प्रभारों और व्ययों सहित, विक्रय के लिए नियत तारीख से पूर्व/ कोटेशन मांगने/टेण्डर/व्यक्तिगत संधि करने से पूर्व किसी भी समय निविदत्त नही करते है, तो कृपया सूचित हो, कि उक्त प्रकार के नोटिस के प्रकाशन के पश्चात, प्रतिभूत आस्ति पर मोचन का अधिकार उपलब्ध नही होगा।

कृपया सूचित हो, कि यह मांग नोटिस प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (Without Prejudice) है, जो किसी अन्य अधिकार या उपाय की छूट में नही लिया जाएगा, हम किसी पाबन्दी के बिना शेष रकम की मांग करने के सभी या किसी भी अधिकार और उपचार करना सुरक्षित रखते है।

नोट– मांग नोटिस की प्रतिलिपि शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

**दिनांकः 18.04.2025** — **स्थानः शाहजहांपुर।** — **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा।**

---

## टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय :** 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, **सीआईएन : U67190MH2008PLC187552**

### माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''**दायित्वधारी**'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्द्वारा एक बार पुनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सूचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सूचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नाम